

पत्रांक - ई०एल०एस०-7/2019-5855 पटना, दिनांक 16 जुलाई, 2019 ई०।
प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय:- लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर मास्टर ट्रेनर, श्री कैलाश प्रसाद सिन्हा, प्रधानाध्यपक, मध्य विद्यालय, केशोपुर, प्रखण्ड- झांझा, जिला- जमुई की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रिता को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दिये जाने के कारण पूर्व में स्वीकृत्यादेश सं०- 4292 दिनांक 04.05.2019 द्वारा ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र का अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति के क्रम में वित्त विभाग के संकल्प सं०- वि (27) पे० को०-78/05-558 वि० दिनांक 06.06.2019 के आलोक में अन्तर शेष राशि ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र का उनकी आश्रिता पत्नी मो० रीना कुमारी को अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- यह राशि मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित राशि से विकलनीय होगी।
- अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-1099/निर्वा० दिनांक 25.04.2019 तथा पत्रांक 1122 दिनांक 30.04.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-वि (27) पे० को०-78/05-2796 वि०(2) दिनांक 01.04.2009, संकल्प सं०-वि० (27) पे०को०-78/05-451 वि० (2) दिनांक 09.04.2014, संकल्प सं०-608 वि० (2) दिनांक 07.05.2014, संकल्प सं०- वि (27) पे० को०-78/05-558 वि० दिनांक 06.06.2019 में निहित प्रावधान के आलोक में दी जा रही है।
- अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग सं०-06, मुख्यशीर्ष 2015-निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष-0001-लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06-2015001050001 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा स्व० कैलाश प्रसाद सिन्हा की पत्नी मो० रीना कुमारी की उचित पहचान के उपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई, स्वीकृत राशि के भुगतान के पूर्व स्व० कैलाश प्रसाद सिन्हा के आश्रितों से यह लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि स्व० सिन्हा के आश्रितों को सरकार के अन्य किसी विभाग/उनके पैतृक विभाग से अनुग्रह अनुदान/बीमा की राशि प्राप्त नहीं किया गया है।

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-7/2019-5855

पटना, दिनांक 16 जुलाई, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :- पत्नी मो० रीना कुमारी, पति- स्व० कैलाश प्रसाद सिन्हा, सा०- पिराडीह, पो०+थाना- झांझा, जिला- जमुई, पिन- 811308 को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-7/2019-5855

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जमुई को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 16 जुलाई, 2019 ई०।

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-7/2019-5855

प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 16 जुलाई, 2019 ई०।

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-7/2019-5855

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला को स्वीकृत राशि के विरुद्ध शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

पटना, दिनांक 16 जुलाई, 2019 ई०।

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :- ई०एल०एस०-7/2019-5855

प्रतिलिपि:- श्री अभिषेक कुमार, आई०टी० मैनेजर, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को CEO Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 16 जुलाई, 2019 ई०।

(एच० आर० श्रीनिवास)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सरकार के सचिव।